



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 90 राँची, सोमवार, 10 फ़रवरी, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

10 फ़रवरी, 2025

संख्या-09/आरोप (राँची)-54/2024 -357(09)/रा.,-- श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी (राजस्व), रातु, राँची सम्प्रति निलंबित (गृह जिला-नालंदा, बिहार) को काण्ड सं0 A.C.B. Ranchi P.S. Case No.-04/2023 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा दिनांक-10.11.2023 को हिरासत में लिया गया तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा B.A. No.-12092/2023 में दिनांक-16.02.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में जमानत दी गई है। विभागीय अधिसूचना संख्या-2562, दिनांक-07.08.2024 द्वारा श्री कुमार को हिरासत में भेजे जाने की तिथि से दिनांक-18.02.2024 तक निलंबित किया गया है तथा श्री कुमार को हिरासत से मुक्त होने की तिथि दिनांक-19.02.2024 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया ।

2. विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-171, दिनांक-27.05.2024 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-02(प)/स्था0, दिनांक-10.01.2025 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अधीन अपराधों के लिए आरोप गठित किये गये हैं। उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु सम्यक विचारोपरांत श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रातु, राँची सम्प्रति निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश जापांक-6840, दिनांक-15.10.2024 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इकबाल आलम अंसारी (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
5. अपर समाहर्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
